

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

c.mail

क्रमांक : प.6(3)साप्र/5/94

जयपुर, दिनांक: 17/03/2015

आदेश

निम्नलिखित विश्राम भवनों में इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यो हेतु संबंधित सेवाओं को एजेन्सी/ठेकेदार के माध्यम से ठेके पर कार्य कराने की आगामी दिनांक 30.06.2015 तक की अवधि के लिए स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त सेवाएँ लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ली जा सकेगी। यह स्वीकृति इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2014के क्रम में होगी :-

क्र. सं.	विश्राम भवन का नाम	कार्य का विवरण	कार्य हेतु संख्या
1	अजमेर	कुक कार्य हेतु	01
2	अलवर	कुक कार्य हेतु	02
3	बाडमेर	कुक कार्य हेतु	02
4	भरतपुर	कुक कार्य हेतु	01
5	भीलवाडा	कुक कार्य हेतु	01
6	बीकानेर	कुक कार्य हेतु	01
7	बांसवाडा	कुक कार्य हेतु	02
8	बूंदी	कुक कार्य हेतु	01
9	बांरा	कुक कार्य हेतु	02
10	चूरु	कुक कार्य हेतु	01
11	चित्तौडगढ	कुक कार्य हेतु	01
12	धौलपुर	कुक कार्य हेतु	02
13	दौसा	कुक कार्य हेतु	01
14	डूंगरपुर	कुक कार्य हेतु	01
15	हनुमानगढ	कुक कार्य हेतु	02
16	जयपुर	कुक कार्य हेतु	06
17	जालौर	कुक कार्य हेतु	01
18	जैसलमेर	कुक कार्य हेतु	02
19	झुन्झुनू	कुक कार्य हेतु	02
20	झालावाड	कुक कार्य हेतु	02
21	जोधपुर	कुक कार्य हेतु	03
22	कोटा	कुक कार्य हेतु	02
23	करोली	कुक कार्य हेतु	02
24	माउण्ट आबू	कुक कार्य हेतु	02
25	नागौर	कुक कार्य हेतु	02
26	पाली	कुक कार्य हेतु	02
27	प्रतापगढ	कुक कार्य हेतु	02
28	राजसमन्द	कुक कार्य हेतु	01
29	श्रीगंगानगर	कुक कार्य हेतु	02
30	सवाईमाधोपुर	कुक कार्य हेतु	01
31	सीकर	कुक कार्य हेतु	01
32	सिरोही	कुक कार्य हेतु	02
33	टोंक	कुक कार्य हेतु	01
34	उदयपुर	कुक कार्य हेतु	01
35	राजस्थान हाउस	कुक कार्य हेतु	06
		कुल योग :-	64

उक्त स्वीकृति का व्यय बजट मद 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-115-अतिथि गृह सरकारी हॉस्टल (03) विश्राम भवन- 41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) एवं मद 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-115-अतिथि गृह सरकारी हॉस्टल (02) एवं राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली- 41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वहन किया जाएगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई.डी. संख्या 161500310 दिनांक: 02.03.2015 पर प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन, सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर/कोषाधिकारी, राजस्थान।
4. संबंधित प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली-कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्वीकृति रिक्त पदों से अधिक न हो। साथ ही उक्त सेवाएँ लिये जाने के उपरान्त इस विभाग को सूचित करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।

17/03/15
शासन उप सचिव